न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 159/2016 दायरा दिनांक : 19.08.16

उनवान

1– मोहनलाल पुत्र नन्दा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार

2– राजू बाई पुत्री नन्दा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार

3– प्रेम बाई पुत्री नन्दा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार

4– जगदीश पुत्र हीरा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार

5– परबत पुत्र हीरा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार

जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1 औंकार लाल पुत्र गुलाब जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार

2– किशोर लाल पुत्र गुलाब जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार

3– शिव लांल पुत्र गुलाब जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील गंगधार

जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री मो0 मंसूर आलम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी.पी. खेण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या –244/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1(वादी) द्वारा धारा 88 व 188 R.T. Act के अन्तर्गत पेश दावा में कानून के विरुद्ध प्रतिकुल कब्जे के आधार पर डिक्री कर, डिक्री पारित की। अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री एवं फैसला खिलाफ कानून, खिलाफ जाप्ता, खिलाफ उसूल–इंसाफ एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होनें योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही किया कि दिनांक 14.10.2011 को प्रकरण में तनकी बनाई गई थी। किसी तनकी का निर्णय नही करने में तथा तनकीवार निणर्य नही करने कानूनी भूल की है। इसलिये निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है। प्रकरण में दिनांक 13.04.2016 को दिनांक 11.05.2016 नियत की गई थी किन्तु उस दिन कोइ तारिख नियत नहीं की गई। सीधे दिनांक 29.06.2016 को निर्णय कर दिया गया। केम्प मे सुनवाई की कोई सूचना नही दी गई।

अधीनस्थ न्यायालय उक्त महत्वपूण तथ्य पर गौर नही किया कि दौरान दावा प्रतिवादी नम्बर 7 सुहाग बाई की मृत्यु 3 वर्ष पूर्व हो चुकी थी उसके कायम मुकामान नही बनाये गए उसके सभी वारिसान पुत्रीया गंगाबाई व सक्कू बाई को कोई सूचना नही दी गई। प्रतिवादी नम्बर 4 नर्वदा बाई की भी दौरान दावा मृत्यु हो चुकी थी उसके भी कोई कायम मुकामान नही बनाये गए। उसके वारिसों में उसके 2 पुत्रिया प्रेमबाई व राजाबाई तथा पुत्र मोहन है। जिन्है कोई सूचना नही दी गई। कायम मुकामान बनाने से छूट देने हेतू भी कोई प्रार्थनापत्र पेश नही किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1, 4,5व 7 के सम्बंध में कोई आदेश परित नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने हीरा व नन्दा के प्रतिवादी नम्बर 1 व 6 के अतिरिक्त, शेष अन्य वारिसों के सम्बंध में कुछ नहीं कहा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित दस्तावेज वाईड हैं, वाईड डाक्यूमेन्ट के आधार पर कोई हक प्राप्त नही होता है। यदि कब्जा हो तो वह भी अवैध होता है।वादी रेस्पोडेन्ट ने वाद कारण भी गलत बताया है। वाद का कारण दिनांक 30.06.2008 को इन्तेकाल नम्बर 1783 खारिज करना बताया है जो घोषणा व निषेधाज्ञा के दावे का वाद कारण नहीं की। वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। उसका दावा, वाद कारण के आभाव में भी खारिज होने योग्य था और है। इसके उपरान्त भी दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट वादी अपने पिता गुलाब के द्वारा तथाकथित विकय के आधार पर दावा लाया था उसने गुलाब की 3 पुत्रीयों अर्थात स्वंय अधिकार नही था। उसका दावा खारिज होने योग्य था। इसलिये भी निरस्तनीय है। कब्जा आज भी अपीलान्टस तथा हीरा व नन्दा के अन्य वारिसों का है।

(लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

नायब तहसीलदार साहब ने भी माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय व अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के आदेश पर मौके पर कब्जे की जांच करने व पक्षकारों को सुनने के बाद ही इन्तेकाल खारिज किया था इसके उपरान्त भी प्रतिकूल कब्जे के आधार दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । निर्णय में दोनो पक्षकारान जरिये अभिभाषक उपस्थित होने का उल्लेख है तथा उनकी उपस्थिति में मजमे आम में निर्णय सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र की पुष्टि में समस्त दस्तावेजात व बयानात का भी उल्लेख भी है। जहां तक कायम मुकामानात बनाने का प्रश्न है यह तो अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद संबंधित पक्षकारों द्वारा कार्यवाही की जानी थी। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में मजमे आम में निर्णय सुनाया गया जिसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26–11–2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– मोहनलाल पुत्र नन्दा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार
2– राजू बाई पुत्री नन्दा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार
3– प्रेम बाई पुत्री नन्दा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार
4– जगदीश पुत्र हीरा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार
5– परबत पुत्र हीरा जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार जिला झालावाड राजस्थान

..... **अपीलांट**

बनाम

1 औंकार लाल पुत्र गुलाब जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार
2– किशोर लाल पुत्र गुलाब जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार
3– शिव लाल पुत्र गुलाब जाति लोधा निवासी डग तहसील गंगधार
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील गंगधार जिला झालावाड राजस्थान

..... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 159/2019 एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, गंगधार**
मु.द.नं 244/2016 निर्णय डिकी दिनांक – **29–06–2016**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 10 माह 11 सन् 2020

हाजरी **श्री मो0 मंसूर आलम** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री सी.पी. खेण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 29.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **26** माह **11** सन् **2020** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.